न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील/75/एल. आर./04/2021/बीकानेर

अपीलांट

अपीलांट	**रेस्पोडेंटगण**
1. श्री दशरथ सिंह पुत्र मूल सिंह जाति राजपूत निवासी राणासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर	1.सरपंच, ग्राम पंचायत राणासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर 2.स्टैट ऑफ राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार

अपील अन्तर्गत **धारा 275 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध उपायुक्त उपनिवेशन बीकानेर** द्वारा पंचायत **की सभा के प्रस्ताव से बाहर जाकर सेट–अपार्ट करने के पारित आदेश** दिनांक **08.06.2021 के विरूद्ध पेश हुई।**

उपस्थिति

1. वकील श्री धीरेन्द्र सिंह भदौरिया अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री महेन्द कल्ला रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 05-06-2024

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 275 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध उपायुक्त उपनिवेशन बीकानेर द्वारा पंचायत की सभा के प्रस्ताव से बाहर जाकर सेट–अपार्ट करने के पारित आदेश दिनांक 08.06.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने नवगठित ग्राम पंचायत, राणासर तहसील कोलायत के लिए पंचायत भवन के लिए चक 15 एसजेडी के मुरब्बा नं0 1/3/10 में किला नं0 18 में 3 बिस्वा, किला नं0 19 में 19 बिस्वा, किला नं0 20 में 10 बिस्वा इस प्रकार कुल 1.12 बीघा भूमि का अधीनस्थ न्यायालय कलक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन बीकानेर ने दिनांक 08.06.2021 को सेट–अपार्ट करने के आदेश जारी किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने दौराने बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि नव सृजित ग्राम पंचायत, राणासर की आम सभा में दिनांक 15.10.2020 सर्व सहमति से चक 15 एसजेडी के मुरब्बा नं0 1/3/2 किला नं0 16 में 1 बीघा, 25 में 3 बिस्वा, मुरब्बा नं0 1/3/6 में किला नं0 21 में 14 बिस्वा, किला नं0 22 में 1 बीघा, मुरब्बा नं0 1/3/7 में किला नं0 2 में 13

बिस्वा, किला नं0 3 में 1 बीघा इस प्रकार कुल 4.10 बीघा हेतु भूमि सड़क से पश्चिम की पंचायत भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित की गई और प्रस्तावित भूमि का प्रस्ताव पास कर के पंचायत भवन निर्माण करने हेतु सम्बन्धित उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मु0 कोलायत के समक्ष भिजवाये गये थे। उक्त प्रस्ताव पर उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मु0 कोलायत द्वारा अपनी रिपोर्ट अंकित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय कलक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन बीकानेर में प्रस्ताव भिजवाये गये। अधीनस्थ न्यायालय कलक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन बीकानेर ने दिनांक 24.02.2021 विभिन्न आक्षेपों के साथ प्रस्ताव लौटा दिये और विधिवत् रूप से कमी–पूर्ति करने बाबत निर्देश दिये जिसकी पालना नहीं की गई। ग्राम पंचायत राणासर के सरपंच ने दूसरा संशोधित प्रस्ताव चक 15 एसजेडी के मुरब्बा नं0 1/3/10 में किला नं0 18 में 3 बिस्वा, किला नं0 19 में 19 बिस्वा, किला नं0 20 में 10 बिस्वा इस प्रकार कुल 1.12 बीघा भूमि ग्राम पंचायत की सभा कर आम सहमति लिए बिना ही अपने स्तर पर दिनांक 24.02.2021 को भेज दिया। अधीनस्थ न्यायालय कलक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन बीकानेर से दिनांक 20.03.2021 को उप नगर नियोजक, आयुक्त सिंचित क्षेत्र विकास बीकानेर के द्वारा विभिन्न बिन्दुओ पर राय भिजवाने का आदेश दिया था मगर उक्त आयुक्त के आदेश को दरकिनार कर अधीनस्थ न्यायालय कलक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन बीकानेर ने अपील आदेश पारित कर कूननी भूल की है। ग्राम पंचायत द्वारा दो–दो प्रस्ताव भेजे गए है। पहला प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा सर्व सहमति से दिनांक 15.10.2020 को पारित कर भिजवाये गये थे यही प्रस्ताव सही व विधिवत् था जिसमें केवल कमी–पूर्ति न करके ग्राम पंचायत राणासर के सरपंच ने अपने स्तर पर बिना ग्राम सभा में प्रस्ताव लिये दिनाक 24.02.2021 को प्रस्ताव बनाकर भेज दिया जो विधिवत् व कानून सम्मत नहीं था।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि चक 15 एसजेडी के मुरब्बा नं0 1/3/2 किला नं0 16 में 1 बीघा, 25 में 3 बिस्वा, मुरब्बा नं0 1/3/6 में किला नं0 21 में 14 बिस्वा, किला नं0 22 में 1 बीघा, मुरब्बा नं0 1/3/7 में किला नं0 2 में 13 बिस्वा, किला नं0 3 में 1 बीघा इस प्रकार कुल 4.10 बीघा भूमि उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मु0 कोलायत रिपोर्ट अनुसार मुरब्बा नं0 1/3/2 मोहरबन्द निलामी श्रेणी में, 1/3/6 सामान्य आवंटन एवं मुरब्बा नं0 1/3/7 विशेष आवंटन श्रेणी हेतु आरक्षित होने के कारण पुनः ग्राम पंचायत राणासर के सरपंच को लौटाया गया। उक्त मुरब्बें विभिन्न श्रेणियों में आरक्षित होने के कारण कमीपूर्ति पूरी नहीं की जा सकती थी। जिस कारण ग्राम पंचायत सरपंच राणासर ने चक 15 एसजेडी के मुरब्बा नं0 1/3/10 में किला नं0 18 में 3 बिस्वा, किला नं0 19 में 19 बिस्वा, किला नं0 20 में 10 बिस्वा इस प्रकार कुल 1.12 बीघा भूमि का

नया संशोधित प्रस्ताव उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मु0 कोलायत को प्रेषित किया गया। संशोधित प्रस्ताव पर उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मु0 कोलायत की रिपोर्ट लेकर सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम बीकानेर मु0 कोलायत ने दिनांक 03.03.2021 को अधीनस्थ न्यायालय कलक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन बीकानेर को भिजवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय कलक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन बीकानेर ने उपनिवेशन विभाग की अधिसूचना दिनांक 18.02.2016 द्वारा उपनिवेशन तहसील गजनेर मु0 कोलायत हेतु कलक्टर की शक्तियों के अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधित प्रस्ताव के आधार पर ग्राम राणासर के चक 15 एसजेडी के मुरब्बा नं0 1/3/10 में किला नं0 18 में 3 बिस्वा, किला नं0 19 में 19 बिस्वा, किला नं0 20 में 10 बिस्वा इस प्रकार कुल 1.12 बीघा अर्थात् 1 एकड़ भूमि दिनांक 08.06.2021 को सेट–अपार्ट की गई। जो अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन करने पर यह तथ्य प्रकट हुए है कि ग्राम पंचायत राणासर के चक 15 एसजेडी मुरब्बा नं0 1/3/2 किला नं0 16 में 1 बीघा, 25 में 3 बिस्वा, मुरब्बा नं0 1/3/6 में किला नं0 21 में 14 बिस्वा, किला नं0 22 में 1 बीघा, मुरब्बा नं0 1/3/7 में किला नं0 2 में 13 बिस्वा, किला नं0 3 में 1 बीघा इस प्रकार कुल 4.10 बीघा भूमि का पंचायत भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव दिनांक 05.08.2020 को ग्राम पंचायत की ग्राम सभा की सर्व सहमति से तैयार कर उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मु0 कोलायत के समक्ष दिनांक 03.09.2020 प्रस्तुत किया। पंचायत की ग्राम सभा की बैठक कार्यवाही का विवरण अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के सलंग्न है। उक्त प्रस्ताव पर उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मु0 कोलायत द्वारा ग्राम राणासर के चक 15 एसजेडी मुरब्बा नं0 1/3/2 मोहरबन्द निलामी श्रेणी में, 1/3/6 सामान्य आवंटन एवं मुरब्बा नं0 1/3/7 विशेष आवंटन श्रेणी हेतु आरक्षित होने की रिपोर्ट अंकित करके सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम बीकानेर को प्रेषित किया। जो मूल प्रस्ताव ही अधीनस्थ न्यायालय कलक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन बीकानेर को पत्र दिनांक 26.11.2020 से भिजवाया गया। सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम बीकानेर मु0 कोलायत के पत्र दिनांक 26.11.2020 के साथ ही ग्राम पंचायत राणासर द्वारा पाक्षिक बैठक दिनांक 15.10.2020 में पूर्व प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 05.08.2020 के प्रस्ताव को निरस्त करते हुए मुख्य सड़क से चिपती हुई भूमि मुरब्बा नं0 1/3/10 में किला नं0 11, 12, 13, व 18 ता 20 में कुल 5 बीघा भूमि को पंचायत भवन निर्माण के लिए प्रस्तावित का यह प्रस्ताव सर्वसहमति से पारित किया जिसकी कार्यवाही विवरण अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के

सलंग्न है। उक्त संशोधित प्रस्ताव ग्राम राणासर के चक 15 एसजेडी के मुरब्बा नं0 1/3/10 में किला नं0 11 में 1 बीघा, किला नं0 12 में 1 बीघा किला नं0 13 में 15 बिस्वा किला नं0 18 में 3 बिस्वा किला नं0 19 में 18 बिस्वा किला नं0 20 में 1 बीघा कुल तादादी 4.16 बीघा भूमि का तैयार कर दिनांक 16.10.2020 को उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मु0 कोलायत को प्रेषित किया गया जिस पर तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट कर कार्यालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन बीकानेर प्रथम मु0 कोलायत को भिजवाया गया जिसको पत्र दिनांक 26.11.2020 के साथ ही अधीनस्थ न्यायालय कलक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन बीकानेर को कार्यालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम बीकानेर मु0 कोलायत द्वारा प्रेषित किया गया। उक्त संशोधित प्रस्ताव को अधीनस्थ न्यायालय कलक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन बीकानेर द्वारा निम्न बिन्दुओं की सूचना पूर्ण कर भिजवाने हेतु दिनांक 24.02.2021 को कार्यालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम बीकानेर मु0 कोलायत को लौटाया गया।

1. चक आबादी/ग्राम आबादी स्वीकार करते समय जन प्रयोजनार्थ भूमि अंकित की जाती है। अतः आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में पूर्व में स्वीकृत आबादी में पंचायत घर हेतु भूमि आरक्षित है अथवा नहीं? का प्रमाण पत्र।
2. ग्राम पंचायत द्वारा भूमि उपलब्ध नहीं होना का प्रमाण पत्र
3. ग्राम पंचायत द्वारा भूमि की डिमाण्ड प्रमाण पत्र
4. प्रस्तावित भूमि का मौका मुआयना रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा प्रमाणित
5. राजस्व नक्शे व चैक लिस्ट में रास्ते की चौड़ाई का अंकन।
6. नोर्म्स अनुसार पंचायत भवन हेतु 1.12 बीघा (1 एकड़) भूमि के प्रस्ताव तैयार कर भिजवावे।

कार्यालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम बीकानेर मु0 कोलायत द्वारा बिन्दु सं0 1 से 4 की सूचना ग्राम पंचायत राणासर से प्राप्त कर, बिन्दु सं0 5 की सूचना उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मु0 कोलायत से प्राप्त कर व बिन्दु सं0 6 के अनुसार नवीन संशोधित प्रस्ताव ग्राम राणारार के चक 15 एराजेडी के मुरब्बा नं0 1/3/10 में किला नं0 18 में 3 बिरवा, किला नं0 19 में 19 बिरवा, किला नं0 20 में 10 बिस्वा इस प्रकार कुल 1.12 बीघा (1 एकड़) भूमि का तैयार कर पत्र दिनांक 03.03.2021 के सलंग्न कर अधीनस्थ न्यायालय कलक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन बीकानेर को भिजवाया गया।

कार्यालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम बीकानेर मु0 कोलायत द्वारा नवीन संशोधित प्रस्ताव ग्राम राणासर के चक 15 एसजेडी के मुरब्बा नं0 1/3/10 में किला नं0 18 में 3 बिस्वा, किला नं0 19 में 19 बिस्वा, किला नं0 20 में 10 बिस्वा इस प्रकार कुल 1.12 बीघा (1 एकड़) भूमि का तैयार कर दिनांक 03.03.2021 को भिजवाया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय कलक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन बीकानेर द्वारा उपनिवेशन विभाग की अधिसूचना दिनांक 18.02.2016 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 का प्रयोग करते हुए उक्त संशोधित प्रस्ताव के आधार पर ग्राम राणासर के चक 15 एसजेडी के मुरब्बा नं0 1/3/10 में किला नं0 18 में 3 बिस्वा, किला नं0 19 में 19 बिस्वा, किला नं0 20 में 10 बिस्वा इस प्रकार कुल 1.12 बीघा अर्थात् 1 एकड़ भूमि दिनांक 08.06.2021 को सेट–अपार्ट की गई। सेट–अपार्ट आदेश में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है।

यह निर्णय आज दिनांक 05.06.2024 को अलग से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन
एवं राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर